भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3406 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

गोपालपुर पत्तन का उन्नयन

†3406. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही:

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान ओडिशा के गंजाम स्थित गोपालपुर पत्तन पर कितनी मात्रा में माल ढुलाई का प्रबंधन किया गया है तथा इसके डीप ड्राफ्ट बर्थों की वर्तमान उपयोग दर क्या है;

(ख) स्थानीय आर्थिक क्षेत्र से दुर्लभ मृदा खनिजों के निर्यात और भारी मात्रा में औद्योगिक वस्तुओं के प्रसंस्करण के लिए समर्पित टर्मिनल सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय नियामक और अवसंरचनात्मक सहयोग की स्थिति क्या है; और

(ग) गोपालपुर पत्तन को घरेलू आंतरिक भागों तथा रेल गलियारों से निर्बाध रूप से जोड़ने के लिए सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही सक्रिय संपर्क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा बहुदा पत्तन की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग): महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तन, जिन्हें गैर-महापत्तन अथवा लघु पत्तन भी कहा जाता है, संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं तथा उनका विकास संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र एवं दायित्व के अंतर्गत आता है। गोपालपुर पत्तन, ओडिशा सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाला एक गैर-महापत्तन है। ओडिशा मैरीटाइम बोर्ड की द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ओडिशा के गंजाम ज़िले में स्थित गोपालपुर पत्तन ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 5.99 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 4.16 एमएमटी कार्गो का संचालन किया। इस पत्तन पर पैनामैक्स तथा केपसाइज़ जलयानों के संचालन हेतु उपयुक्त बर्थ उपलब्ध हैं, जिन पर अधिकतम 14.5 मीटर तक के अनुमेय ड्राफ्ट वाले पोतों का प्रचालन किया जा सकता है। गोपालपुर पत्तन में

तीन बहुउद्देशीय बर्थ हैं, जो दुर्लभ मृदा खनिजों सहित विभिन्न प्रकार के थोक, ब्रेक-बल्क तथा अन्य कार्गो के प्रबंधन में सक्षम हैं। बर्थों का उपयोग कार्गो यातायात तथा जलयान के आगमन के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। वर्तमान में, दुर्लभ मृदा खनिजों के निर्यात अथवा स्थानीय आर्थिक क्षेत्र से उच्च मात्रा में औद्योगिक वस्तुओं की हैंडलिंग के लिए कोई समर्पित टर्मिनल सुविधा उपलब्ध नहीं है।

गोपालपुर पत्तन के आंतरिक भूमि से (हिंटरलैंड) संपर्कता में सुधार के उद्देश्य से गोपालपुर पत्तन-रायराखोल रेल लाइन के लिए रेल मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। बहुदा पत्तन के संबंध में, डीपीआईआईटी ने बहुदा पत्तन के विकास हेतु ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित 6,718.91 एकड़ भूमि के अंतरण के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की सूचना दी है।
